

## प्रक्रिया निर्देश

1. सर्वप्रथम प्रत्येक आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैन उनके आधार से लिंक होना चाहिए।
2. सभी जिलों/ विभाग को डिजिटल सिग्नेचर आवेदन करने वाले आवेदकों के विवरण की Excel Data Sheet बनानी होगी। जिसका प्रारूप निम्नवत है:-

SI No	DOB	Ref. No.	Name as PAN Card (in Capital Letter)	Email (Only Gmail ID) in small letters	Mobile No.	PAN Card No. In Capital Letters	Designation
		Leave Blank					

आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दिया गया ईमेल और मोबाईल नंबर ऐक्टिव होना चाहिए क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया के दौरान दिए गए ईमेल और मोबाईल नंबर पर अलग-अलग OTP आयेंगे जिनकी validity 2 मिनट की होती है।

3. आपको दिए गए Authorizer Form में आपको अपने Organisation का नाम डालकर और आपके विभाग के HOD का विवरण भरकर उनसे Sign और मोहर लगवायें। साथ ही उनका पैन कार्ड और विभागीय परिचय पत्र भी संलग्न करें। यह Authorizer Form विभाग के लेटर हेड पर प्रिन्ट किया जाएगा।
4. आपको अपने यहाँ एक Computer की व्यवस्था करनी होगी जिसमें इंटरनेट और अच्छा वेब कैमरा लगा होना चाहिए। और Ultra Viewer नाम का एक Remote Application Software इंस्टॉल करना होगा।
5. सबसे पहले Authoriser का फॉर्म ही Process होगा। Authoriser का Approve होने के बाद ही अन्य सभी आवेदकों का डिजिटल सिग्नेचर Process हो पाएगा।
6. प्रत्येक आवेदक के नाम का फ़ोल्डर बनाकर आवेदक का साफ और स्पष्ट कलर फोटो, पैन कार्ड और विभागीय परिचय पत्र को 300 dpi पर कलर स्कैन करके उनके फ़ोल्डर में crop करके jpeg/ jpg format में save कर लें। इन सभी फ़ोल्डर्स को अपने Computer में रखें और हमारी Email ID **uplcdsc@gmail.com** पर भी Covering लेटर के साथ मेल करें।
7. प्रत्येक आवेदक को डिजिटल सिग्नेचर बनवाने की प्रक्रिया के दौरान अपना पैन और विभागीय परिचय पत्र दोनों मूल रूप में विडिओ वेरीफिकेशन में दिखाने होंगे।
8. Authoriser द्वारा अपना अकाउंट लॉगिन करके सभी Process किए गए डिजिटल सिग्नेचर को Approve करना होगा।
9. बनाए गये DSC को सम्बन्धित विभाग द्वारा UPLC से शीघ्र collect किया जाये।
10. किसी समस्या/ सहायता के लिये मोबाईल नंबर 8874814209, 9532020394, 9721451496, 7570003030 तथा ईमेल uplcdsc@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

नोट: जिनका विभागीय पहचान पत्र मानव सम्पदा द्वारा जारी किया गया है , वे अपने पहचान पत्र पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाकर laminate कराकर ही scan करें ।